डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 15 फरवरी, 2021, डिस्पेच दिनांक 15 फरवरी, 2021

| वर्ष 64 | अंक 18 | भोपाल | 15 फरवरी, 2021 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

किसानों को मिलें सभी आवश्यक सुविधाएँ, भुगतान में विलंब न हो : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की रबी उर्पाजन तैयारियों की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गेहूँ के उपार्जन कार्य में किसानों को उपार्जन केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायें। समय पर उनकी फसल का उपार्जन हो तथा उपार्जन के बाद भुगतान में विलंब न हो। मेरे लिए एक–एक किसान महत्वपूर्ण है। किसी का भुगतान नहीं रुकना चाहिए। उपार्जित फसल के तुरंत परिवहन की व्यवस्था की जाये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में रबी उपार्जन तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद, श्री अजीत केसरी, मार्कफेड के प्रबंध संचालक श्री पी. नरहरि आदि उपस्थित थे।

22 मार्च से होगा गेहूँ का उपार्जन

प्रदेश में इस बार गेहूँ का उपार्जन 22 मार्च से इंदौर एवं उज्जैन संभाग में तथा 1 अप्रैल से शेष संभागों में किया जाएगा। उपार्जन के लिए पंजीयन चालू है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। इस बार भी गत वर्ष की तरह 4529 उपार्जन केंद्र बनाये जा रहे हैं।

125 लाख मैट्रिक टन गेहूँ के उपार्जन का अनुमान

इस बार 125 लाख मैट्रिक टन गेहूँ उपार्जन का अनुमान है। अभी तक 4 लाख 13 हज़ार किसानों ने गेहूँ उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है। गत वर्ष 19 लाख 47 हजार किसानों ने पंजीयन कराया था, जिनमें से 15 लाख 81 हज़ार किसानों ने गेहूँ बेचा। इस बार लगभग 20 लाख किसानों के पंजीयन का अनुमान है।

गेहूँ का समर्थन मूल्य 1975 रुपये

इस बार गेहूँ का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल होगा। गत वर्ष यह 1925 रुपए प्रति क्विंटल था। इस बार गेहूँ की बोनी का रकबा 98 लाख 20 हजार हेक्टेयर है।

एक भी किसान का भुगतान न होना अपराध, जिम्मेवार से होगी वसूली

मुख्यमंत्री चौहान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक भी किसान की उपज का भुगतान न होना अपराध है। दोषियों की संपत्ति कुर्क करें। उन्हें जेल भेजें तथा किसानों को भुगतान करायें। जितने किसानों का भुगतान बकाया है, उनकी सूची उन्हें तुरंत उपलब्ध कराई जाये। जिन सहकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता संदिग्ध हो, उन्हें इस बार उपार्जन का कार्य न दिया जाये।

सिकमी/बटाईदारों के अधिकतम 5 हेक्टेयर रकबे का पंजीयन

उपार्जन के लिए इस बार सिकमी/बटाईदारों के अधिकतम 5 हेक्टेयर रकबा के पंजीयन की सुविधा प्रदान की जा रही है।

चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 15 मार्च से

चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 15 मार्च से प्रारंभ होगा, जो 15 मई तक चलेगा। इस बार इनका पूरा उपार्जन मार्कफेड द्वारा किया जाएगा। चने का समर्थन मूल्य 5100 रूपये, सरसो का समर्थन मूल्य 4650 रूपये और मसूर का समर्थन मूल्य 5100 रूपये प्रति क्विंटल है। चने का उपार्जन 14.51 लाख टन, मसूर का 1.37 लाख टन तथा सरसो का 3.90 लाख टन अनुमानित है।

स्व–सहायता समूहों के माध्यम से भी उपार्जन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गत बार की तरह इस बार भी स्व–सहायता समूहों तथा कृषि उत्पादक समूहों को उपार्जन कार्य दिया जाएगा। गत वर्ष 39 उपार्जन केंद्रों पर स्व–सहायता समूहों एवं कृषि उत्पादक समूहों द्वारा 9 लाख 78 हज़ार 526 क्विंटल गेहूँ उपार्जित किया गया, जो कुल उत्पादन का 3% था।

प्रदेश में एक भी सहकारी बैंक बंद नहीं होगा : सहकारिता मंत्री

भोपाल। मध्य प्रदेश के सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ अरविंद सिंह भदौरिया का कहना है कि प्रदेश का एक भी सहकारी बैंक बंद नहीं होगा, जहॉ जो कमियां है उन्हें सुधारा जाएगा। इन्हें अधिक आधुनिक व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाये जा रहे है।

उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की भी साख संरचना का अध्ययन करने के लिए दल गठित किए गए है। दलों में सहकारिता विभाग के अधिकारी, बैंक अधिकारी के साथ–साथ सहकारिता के जानकार लोगों को भी शामिल किया गया है। यह दल गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में सहकारिता कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लेगा। अध्ययन दल की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में सहकारी बैंको के व्यवसाय में सुधार लाने एवं उन्हे अधिक प्रभावी बनाने का कार्य किया जाएगा। सहकारी बैंकों द्वारा इस वर्ष किसानो का 13 हजार 800 करोड़ रू. का ऋण दिया गया है।

पैक्स संस्थाओं में की 3629 कनिष्ठ संविदा विक्रेताओं की नियुक्ति

श्री भदौरिया ने बताया कि पैक्स संस्थाओं में 3629 कनिष्ठ संविदा विक्रेताओं की नियुक्ति करने के आदेश जारी किए है। इससे पैक्स संस्थाओं में स्टाफ की कमी दूर होगी। इन कनिष्ठ संविदा विक्रेताओं को छः हजार रूपये मानदेय मासिक देय होगा। इससे शासन पर 26.13 करोड़ का वार्षिक वित्तीय भार आयेगा।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

विभागीय अधिकारियों के लिये ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन प्रशिक्षण भी आयोजित किये जाये

राज्य सहकारी संघ की समीक्षा बैठक में सहकारिता आयुक्त ने दिये निर्देश

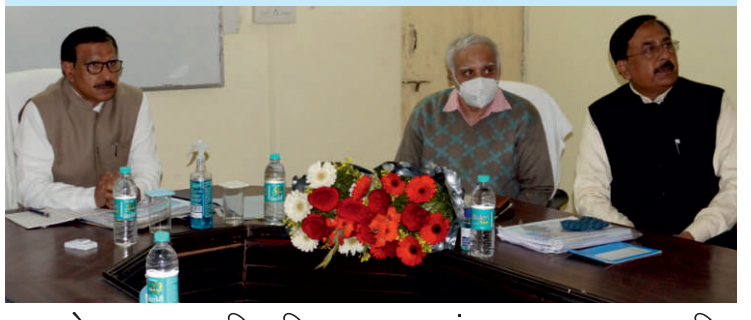

भोपाल। सहकारिता विभाग के नवनियक्त अधिकारियों को ऑन–लाइन प्रशिक्षण के साथ ऑफ लाइन (फिजीकल) प्रशिक्षण भी दिया जाए जिससे की विभागीय गतिविधि व कार्य को आसानी से समझ सके। उक्त निर्देश सहकारिता आयुक्त श्री नरेश पाल कुमार ने म.प्र. राज्य सहकारी संघ की गतिविधियों की समीक्षा बैठक में दिये। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त सहकारिता श्री अरविंद सिंह सेंगर, राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी राज्य सहकारी संघ श्री संजय कुमार सिंह भी उपस्थित थे। सहकारिता आयुक्त ने कहा ग्वालियर व उज्जैन में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र हेतु भूमि आवंटन के लिये विशेष...

(शेष पृष्ठ 6 पर)

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम में संशोधन

म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम में संशोधन किये गये है यह मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 37 – भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 जनवरी 2021 में प्रकाशित किये गये है। राजपत्र ज्यों का त्यों प्रकाशित किया जा रहा है।

विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2021

क्र. 1082–34–इक्कीस–अ(प्रा.)– भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनी पंचौली, अवर सचिव

मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक 12 सन् 2021
मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2021
विषय सूची

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ
2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 17 सन् 1969 का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना
3. धारा 48– क का संशोधन
4. धारा 49 का संशोधन
5. धारा 52 का संशोधन
6. धारा 53 का संशोधन

मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक 12 सन् 2021
मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2021

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 23 जनवरी, 2021 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया।,

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश

अतः राज्य के विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि तुरन्त कार्रवाई करें :

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन), 2021 है

(2) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 17 सन् 1961 का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना

2. इस अध्यादेश मध्यप्रदेश अधिनियम मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 17 सन् 1961के प्रवर्तन की कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा 3 से 6 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा

धारा 85–क संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 85 – क में, उप धारा (4) में, –

(एक)खण्ड (क) में, शब्द '' संसद या विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है या'' का लोप किया जाए

(दो) खण्ड (ख) का लोप किया जाए

धारा 49 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (7–क) में, खण्ड (ख) में, प्रथम परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए, और इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

'' परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में प्रशासक को उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए समिति गठित की जाना आवश्यक है, तो रजिस्ट्रार निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) उस सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसाइटी के संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की अर्हता रखते हो :

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि :

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि

5. मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (5) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित धारा 52 का संशोधन किया जाए, अर्थात् :–

(क) सहकारी साख संरचना में, राज्य सरकार की अंश पूंजी के लिए अधिकतम सीमा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए गए अनुसार होगी

धारा 53 का संशोधन

1. मूल अधिनियम की धारा 53में –
2. (एक) उपधारा (1) में, प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

'' परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में प्रशासक को उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए समिति गठित की जाना आवश्यक है, तो रजिस्ट्रार, निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) उस सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसाइटी के संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने अर्हता रखते हो :

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि,

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि

(दो) उपधारा (12) में, परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तथा इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात :–

'' परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में प्रशासक को उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए समिति गठित की जाना आवश्यक है, तो रजिस्ट्रार निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) उस सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसाइटी के संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचित की अर्हता रखते हो :

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि :

(ग) वित्त पोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि''

भोपाल :
तारिख 13 जनवरी 2021

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 23 जनवरी 2021

क्र. 1082–34–इक्कीस– अ (प्रा.) – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनी पंचौली, अवर सचिव

इंदौर दुग्ध संघ ने 231 विद्यार्थियों को किया पुरस्कृत

इंदौर। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ ने इस वर्ष से मेधावी छात्र पुरस्कार योजना शुरू की है। इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ अध्यक्ष श्री मोती सिंह पटेल द्वारा बताया गया कि दुग्ध संघ संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत मेधावी छात्र–छात्रा पुरस्कार योजना के तहत 133 दुग्ध सहकारी समिति ग्रामों के 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 231 विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुग्ध समिति स्तर पर दुग्ध संघ द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं एक हजार रुपये देकर पुरस्कृत किया गया। दुग्ध समितियों में 26 जनवरी के दिन पुरस्कार वितरित किये गये।

उक्त योजना के क्रियान्वयन से छात्र–छात्राओं में शिक्षा के प्रति लगाव उत्पन्न होगा। श्री पटेल द्वारा दुग्ध समिति चापड़ा ग्राम की दोनो छात्राओं कुमारी नीतू राजपूत एवं कुमारी रिया राजपूत को भी हार्दिक बधाई दी जिन्होंने अपने पुरुस्कार की राशि दो हजार रुपये राम मंदिर निर्माण समिति को भेंट दी है।

ई–नाम में शामिल होंगी प्रदेश की सभी मंडियाँ–सुश्री प्रियंका दास

भोपाल।भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) योजना में प्रदेश की सभी मण्डियों को शामिल किये जाने के लिये डीपीआर तैयार करें। प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड सुश्री प्रियंका दास ने उक्त निर्देश समीक्षा बैठक में दिये। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 80 मण्डियों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश की शेष मण्डियों में भी शीघ्र ही योजना का क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा रहा है। कृषि विपणन में e-NAM राष्ट्रीय कृषि बाजार में एक अभिनव पहल है। इसमें एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल लांच कर इसे और अधिक मजबूत किया गया है। समीक्षा बैठक में सुश्री दास ने e-NAM प्लेटफार्म पर अधिक से अधिक एफपीओ को पंजीकृत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी मण्डियों में योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। इसके लिये सभी आवश्यक तैयारियाँ शीघ्रता से की जायें। बैठक में उन्होंने मण्डी समितियों की आय, मण्डी समितियों की आवक के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर बेहतर कार्य किये जाने के निर्देश दिये।

मिलावट के विरूद्ध अभियान पूरी ताकत से जारी रहे : मुख्यमंत्री

मासिक वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अधिकारी–कर्मचारी पूरी क्षमता, समर्पण, ईमानदारी और परिश्रम से कार्य कर प्रदेश की जनता के कल्याण को सुनिश्चित करें। कलेक्टर्स, विभागीय अधिकारी और उनका अमला प्रदेश के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। विकास के लिए हम सब एक हैं। यदि हमारे प्रयासों में कोई कमी रह जाती है, तो यह प्रदेश का अहित होने का पाप भी होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के जिलों के कलेक्टर्स और सभी कमिश्नर्स, आई.जी. और एस.पी स्तर के अधिकारियों से प्रथम सत्र में संवाद किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निर्धारित एजेंडा के अनुसार मासिक समीक्षा होगी। माह में 29 दिवस काम और एक दिन समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह मासिक समीक्षा सु–शासन का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने मिलावटियों और माफियाओं के विरूद्ध पूरी ताकत से अभियान जारी रखने को कहा। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस उपस्थित थे।

उपार्जन और उपभोक्ता कल्याण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में हुए धान उपार्जन कार्य और किसानों को किए गए भुगतान की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने मुरैना कलेक्टर से बाजरा खरीदी संबधित शिकायतों पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसान हित सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ग्वालियर और अन्य जिलों के कलेक्टर्स से खाद्यान्न उपार्जन में अनियमितता पर दर्ज मामलों की जानकारी प्राप्त की। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में 37 लाख 26 हजार 496 मीट्रिक टन धान, 29 हजार 582 मीट्रिक टन ज्वार और एक लाख 95 हजार 335 मीट्रिक टन बाजरा की खरीदी की गई है। धान के लिए 6961 करोड़ और ज्वार एवं बाजरा के लिए 497 करोड़ की खरीदी की गई। किसानों को राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। खाद्यान्न उपार्जन में अनियमितता के कारण प्रदेश भर में 48 एफआईआर दर्ज की गई। कुल 5203 क्विंटल सामग्री जप्त की गई। रीवा में 15 और सिंगरौली में 12 वाहन जप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्वालियर में हुई प्रभावी कार्यवाही की प्रशंसा की। ग्वालियर में कुल 1230 क्विंटल सामग्री जप्त की गई हैं। दोषी पाए गए 13 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। चार एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। प्रकरण पुलिस विवेचना में हैं। ग्वालियर में की गई कार्यवाही में 5 वाहन भी जप्त हुए हैं।

स्व–सहायता समूह को समर्थ बनाना सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार के लिए स्व–सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सम्पन्न और आत्म–निर्भर बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्यप्रदेश में स्व–सहायता समूहों का कार्य बेहतर चल रहा है। इसकी निरंतर प्रगति के लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा कि समूहों को प्रदेश में बैंक और मार्केट लिंकेज के प्रयास सफल हुए हैं। लोकल को वोकल बनाये। जिले नवाचार करें। यह कार्य मिशनरी भाव से करें। इस मौके पर श्योपुर कलेक्टर ने बताया कि श्योपुर जिले में समूहों की महिलाएँ स्कूल यूनिफार्म बना रही। गो–काष्ठ का निर्माण भी हो रहा है। यही नहीं आजीविका एक्सप्रेस भी चल रही हैं। कूनो अभयारण्य में महिलाएँ गाइड का कार्य कर रही हैं। भोपाल जिले में भी एक नवाचार हुआ है, जिसमें स्व–सहायता समूहों की महिलाएँ त्यौहारों पर दिए जाने वाले गिफ्ट हैंपर तैयार कर रही हैं, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। जिला पंचायत भोपाल द्वारा समूहों को ऐसी गतिविधियों के लिए सहयोग और मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

अच्छे कार्य के लिए पीठ थपथपाएंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों की पीठ थपथपाई जाएगी। जो अधिकारी परिणाम नहीं देंगे, तो वे उन पदों पर आसीन नहीं रहेंगे। निष्पक्ष मूल्यांकन करते हुए श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों की प्रशंसा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उनकी दृष्टि में सभी समान हैं। मन में किसी तरह का राग–द्वेष किसी के लिए नहीं है।

पी.एम. स्व–निधि योजना में प्रथम रहे मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लोगों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रेहड़ी लगाने वाले, छोटे व्यवसायियों (स्ट्रीट वेंडर्स) को ब्याज मुक्त ऋण दिलवाकर सहायता देने वाली स्व–निधि योजना की प्रगति की जिलावार जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि अलीराजपुर, निवाड़ी, इंदौर और सिंगरौली जिले योजना के क्रियान्वयन में आगे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संबंधित जिला कलेक्टर को बधाई दी। प्रदेश में योजना में शहरी क्षेत्र में 2 लाख 25 हजार 374 प्रकरणों में ऋण राशि बाँटी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के लिए पोर्टल सक्रिय किया गया है, जिसमें 29 जनवरी तक 12 लाख 78 हजार 637 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में योजना का लाभ पात्र लोगों को दिलवाने के लिए कलेक्टर्स जिला पंचायत को सक्रिय भूमिका के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को घर तक राशन पहुँचाने के लिए ग्वालियर में हुए प्रयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि अन्य जिले भी सेवा कार्य का यह नवाचार करें।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने अन्न उत्सव, बायोमेट्रिक सत्यापन से राशन वितरण और ग्वालियर में दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों को उनके घर तक खाद्यान्न पहुँचाने के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पात्रता पर्ची पर खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की भी समीक्षा की।

मध्यप्रदेश में अनोखा नवाचार, पवन ऊर्जा संयंत्रों में सौर ऊर्जा भी बनेगी

भोपाल। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि प्रदेश में जल्दी ही पवन ऊर्जा संयंत्र स्थलों पर सोलर ऊर्जा पैनल्स भी लगाए जायेंगे। इससे दिन में सौर ऊर्जा और रात में पवन ऊर्जा मिलेगी, जो मध्यप्रदेश को आत्म–निर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मंत्री श्री डंग ने यह बात नवकरणीय ऊर्जा नीति के प्रारूप की समीक्षा करते हुए कही। प्रमुख सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री संजय दुबे, महाप्रबंधक ऊर्जा विकास निगम श्री दीपक सक्सेना सहित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

देश में इस साल सबसे अधिक सोलर पार्क स्वीकृति म.प्र. के लिये

मंत्री श्री डंग ने बताया कि देश में इस वर्ष सबसे अधिक सोलर पार्क मध्यप्रदेश के लिये स्वीकृत हुए हैं। देश में इस वर्ष स्वीकृत 18 हजार मेगावॉट के सोलर पार्कों में से 5 हजार मेगावॉट के सोलर पार्क अकेले मध्यप्रदेश के लिये स्वीकृत हुए हैं। इनमें 1500 मेगावॉट का आगर–शाजापुर–नीमच सोलर पार्क, 600 मेगावॉट का ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, 950 मेगावॉट का छतरपुर सोलर पार्क और 1400 मेगावॉट का मुरैना सोलर पार्क शामिल है। यह सभी पार्क 2022–23 में पूर्ण हो जायेंगे। रीवा–2, छतरपुर, मुरैना, सागर और रतलाम सोलर पार्क के लिये ज़मीन चिन्हित कर ली गयी है। सभी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में विभिन्न स्तरों पर काम जारी है।

खाद्यान्न उपार्जन से वितरण तक प्रदेश रहा अव्वल

कोविड–19 के संक्रमण की विषम परिस्थितियों में भी मध्यप्रदेश में गरीबों को खाद्यान्न वितरण का काम रूका नहीं बल्कि और भी ज्यादा मुस्तैदी से हुआ। यह संभव हुआ मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ठोस कारगर रणनीति तैयार कर उसे अमल में लाने से। रणनीति के जरिये राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से हो या वन नेशन–वन राशन कार्ड द्वारा प्रदेश में और प्रदेश के बाहर के राज्यों में कार्यरत अथवा निवासरत प्रदेश के उपभोक्ताओं को राशन पहुँचाया गया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्न उत्सव के रूप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 37 लाख वंचित हितग्राहियों को पात्रता पर्ची के साथ खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान की। प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ प्रारंभ हुए अन्न उत्सव की गंभीरता इस बात से पता लगती है कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने स्वयं एवं अपने मंत्रीगणों के माध्यम से हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची देकर किया।

धान उपार्जन में बनाया नया रिकॉर्ड

परिस्थितियाँ कोई भी रही हों, मध्यप्रदेश में धान का रिकॉर्ड उपार्जन 37 लाख 36 हजार मीट्रिक टन किया गया है। विगत वर्ष यह मात्रा 25 लाख मीट्रिक टन थी। इस वर्ष लगभग 7 हजार करोड़ की धान खरीदी गई, जिसमें से 5 हजार करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खातों में अंतरित कर दी गई है।

619 करोड़ रूपये का किसानों का भुगतान

खरीफ उपज की खरीदी के बदले किसानों को ई–पेमेन्ट से अभी तक 619 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा गया है। उपज खरीदी के लिये 1552 उपार्जन केन्द्र स्थापित किये गये। इनमें 1,419 केन्द्रों पर धान की और 133 केन्द्रों पर बाजरे एवं ज्वार की खरीदी की गई है।

7 लाख से अधिक किसानों के पंजीयन का प्रमाणीकरण

खरीफ फसल के विक्रय के लिए 7 लाख 81 हजार 168 किसानों ने पंजीयन कराया था। इनमें से 7 लाख 72 हजार 593 किसानों से उनकी उपज निर्धारित मूल्य पर खरीदी गई। पंजीकृत किसानों में से धान के लिए 7 लाख 18 हजार 541, ज्वार के लिए 14 हजार 65 एवं बाजरे के लिए 39 हजार 987 किसानों के पंजीयन का प्रमाणीकरण किया गया।

5 लाख 67 हजार मी.ट. से अधिक उपज का परिवहन

प्रदेश में अभी तक खरीदी केन्द्रों से गोदाम तक 5 लाख 67 हजार 249 मीट्रिक टन उपज का सुरक्षित परिवहन किया जा चुका है। इसमें 3 लाख 89 हजार 445 मीट्रिक टन धान, एक लाख 77 हजार 804 मीट्रिक टन बाजरा एवं ज्वार का परिवहन कर सुरक्षित गोदाम तक पहुँचाया गया।

हितग्राहियों को खाद्यान्न सामग्री

हितग्राहियों को राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति सदस्य एक रूपये प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न एवं एक किलो दाल प्रति परिवार निःशुल्क नवंबर तक वितरित की गई। प्रति परिवार एक रूपये प्रति किलो की दर से एक रूपये किलो आयोडाईज्ड नमक एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर प्रति परिवार डेढ़ लीटर केरोसीन का वितरण भी किया गया।

अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम सहित अनेक नए हितग्राही

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अंतर्गत प्रदेश की 75 प्रतिशत आबादी को ही लाभान्वित करने की सीमा निर्धारित होने के कारण 25 श्रेणी के नवीन सत्यापित हितग्राही जैसे फेरी वाले, हम्माल, तुलावटी, केश–शिल्पी, बीपीएल कार्ड धारक, बीड़ी श्रमिक, साइकिल रिक्शा और हाथ ठेला चालक राशन से वंचित रहे हैं। गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 37 लाख नवीन हितग्राहियों को इस अभियान में जोड़ा गया। हितग्राहियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो प्रति सदस्य खाद्यान्न एवं एक रूपये प्रति किलो दाल प्रति परिवार अप्रैल से माह नवंबर–2020 तक निःशुल्क वितरित की गई।

आत्म–निर्भर भारत – माईग्रेंट लेबर को खाद्यान्न सुरक्षा

राज्य शासन ने आत्म–निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कोविड संक्रमण काल में लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न सुरक्षा के तहत माईग्रेंट लेबर के एक लाख 9 हजार परिवारों के एक लाख 96 हजार सदस्यों को माह मई एवं जून–2020 में 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य एवं प्रति परिवार एक किलोग्राम दाल का निःशुल्क वितरण किया। इसमें एसडीआरएफ की मद से कुल करीब 31 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न एवं 137 मीट्रिक टन नमक निःशुल्क प्रदाय कराया गया।

राज्य एवं राष्ट्रीय योजनाओं में वितरित खाद्यान्न

राज्य सरकार द्वारा 89 आदिवासी विकासखण्डों के पात्र परिवारों को डबल फोर्टिफाइट एवं शेष क्षेत्र के पात्र परिवारों को एक रूपये प्रति किलो प्रति परिवार की दर से आयोडाइज्ड नमक का वितरण कराया गया है। अन्त्योदय अन्न योजना में लगभग 16 लाख अति गरीब परिवारों को एक किलो शक्कर 20 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह दी जा रही है।

भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए प्रदेश को 2 रूपये प्रति किलो गेहूँ, 3 रूपये किलो की दर से चावल आवंटित किया गया। इसमें गेहूँ पर एक रूपये किलो एवं चावल पर 2 रूपये किलो राज्य सरकार द्वारा अलग से अनुदान दिया जाकर एक रूपये किलो की दर से खाद्यान्न वितरित किया गया है।

कोविड में पीजीकेवाय के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित

कोविड संक्रमण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अंतर्गत 5 करोड़ 44 लाख हितग्राहियों को केन्द्र एवं राज्य शासन की इन हितकारी योजनाओं से प्रतिमाह दस किलो खाद्यान्न के साथ प्रति परिवार एक किलो दाल भी नवंबर–2020 तक निःशुल्क वितरित की गई। योजना के अंतर्गत 2 लाख 72 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न एवं 11 हजार 600 मीट्रिक टन दाल का आवंटन प्रतिमाह वितरण के लिए दिया गया।

मेप आईटी का विघटन एमपीएसईडीसी में मर्ज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जारी किए आदेश

भोपाल। आईटी यानी एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ़ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी (MAP_IT) का विघटन कर इसे इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम एम पी एस ई डी सी (MPSEDC) में मर्ज कर दिया गया है।राज्य शासन ने सोमवार को इस सम्बंध में आदेश भी जारी कर दिए है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मेप आई टी की समस्त आस्तियों एवं देयताओं को विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को हस्तांतरित किया जाये।

अब मेप आई टी की गतिविधियों का संचालन एवं अनुबंधों का निष्पादन मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (MPSEDC) द्वारा किया जाएगा, जिसके लिये मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ़ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी को दिए जाने वाले भविष्य के सभी अनुदान/ बजट आदि मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को दिए जाएंगे।

मेप आई टीम के स्वीकृत पदों को म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को हस्तांतरित किया गया है।

इस विघटन एवं विघटन में उद्भूत होने वाले अन्य समस्त विषयों एवं सांविधिक दायित्वों उपरोक्त प्रक्रियाओं को पूर्ण कराने के लिए आगामी कार्यवाही कराने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मेप आई टी और प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी मेप आई टी के पश्चात मध्यप्रदेश कार्य आवंटन नियम में विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्थाओं की सूची में से मेप आई टी को विलोपित करने संबंधी कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संपादित की जायेगी।

उचित मूल्य दुकान संचालकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण

शाजापुर। मध्यप्रदेश खाद्य ,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल से जिले में संचालित 344 उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को गत दिवस ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण जनपद पंचायत शुजालपुर, मो. बड़ोदिया शाजापुर तथा कालापीपल खण्ड मुख्यालय किया गया था। प्रशिक्षण प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद किदवई एवं संचालक श्री तरुण पिथोड़े एवं अन्य विशेषज्ञों द्वारा प्रातः 11:30 से शाम 4:00 बजे तक दिया गया। प्रशिक्षण बहुत ही प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक रहा। प्रशिक्षण में खाद्य विभाग के आपूर्ति अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, सहकारिता निरीक्षक एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हुए पदाधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई।

आने वाले पांच वर्षों में हर गरीब को मिलेगा पक्का आवास : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम जिले के ग्राम डोसी गाँव में प्रधानमंत्री आवास ई.डब्ल्यू.एस. से निर्मित 101 आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आने वाले पाँच वर्षो में गरीबों को पक्के आवास बनाकर दिये जायेंगें। प्रदेश के खजाने पर पहला हक प्रदेश के गरीबों का है। श्री चौहान ने कहा कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिये ही मैं मुख्यमंत्री बना हूँ और मुस्कुराहट लाऊंगा भी। मुख्यमंत्री ने रतलाम जिले के लिये अनेक सौगातों की घोषणा की।

एक जुलाई से रतलाम शहर में हर घर में पानी पहुँचेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि 01 जुलाई से रतलाम शहर में हर घर में पीने का पानी पहुँचाया जायेगा। जिले में 1800 हेक्टेयर जमीन पर कल–कारखाने लगाये जायेंगे। प्रधानमंत्री आवास का लाभ प्राथमिकता से हितग्राहियों को दिया जायेगा। जिले में मध्यमवर्गीय लोगों के लिये भी 3000 आवास बनाये जायेगें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवरेज के लिये 115 करोड़ की राशि खर्च की जायेगी। अण्डरग्राउण्ड नालियॉ जून माह तक पूरी कर ली जायेगी। जिले में 126 करोड़ की लागत से आन्तरिक सड़कें बनायी जायेगी। जिला चिकित्सालय का आधुनिकीकरण एवं आडिटोरियम का निर्माण किया जायेगा। मेडिकल कॉलेज में शासकीय आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। रूपये 150 करोड़ से व्यवसायिक कॉम्पलेक्स, सब्जी मार्केट आदि बनाया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमान ताल के सौन्दर्यीकरण का कार्य 4 करोड़ की राशि से किया जायेगा। आगामी दिनों में 25 करोड़ की राशि से सड़कें और 22 करोड़ की राशि से ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जायेगा। स्ट्रीट वेण्डरों को स्व–रोजगार के लिऐ 10 हजार रूपये की राशि का ऋण दिया जायेगा। उन्होंने सभी लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया एवं मौके पर ही प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को आवास की चाबी, दीनदयाल और लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को प्रमाण–पत्र वितरित किये। अमृत सागर सौन्दर्यीकरण योजना में 4 करोड़ की राशि का प्रमाण–पत्र नगर निगम आयुक्त को प्रदान किया।

गरीबों का राशन खाने वालों पर कड़ी कार्यवाही होगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वह पहली बार रतलाम जिले में आये है। क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना प्यार एवं आशीर्वाद दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 33 लाख नये गरीबों के नाम राशनकार्ड में जोड़े गये हैं। अब इन गरीबों को एक रूपये किलो के मान से चावल एवं गेहूँ प्रदान किया जा रहा है। रतलाम जिले में पात्रता पर्ची में 13 हजार नये नाम जोड़े गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों का राशन खाने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना समाप्ति के पश्चात मुख्मयंत्री कन्यादान योजना में पुनः गरीबों की बेटियों के विवाह कराये जायेंगे। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश में दो करोड़ लोगों के कार्ड बनाये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य प्रदेश के लोगों को रोटी–कपड़ा एवं रोजगार उपलब्ध कराना है। हाल ही में किसानों का 550 करोड़ रूपये का ब्याज माफ किया गया है। किसान सम्मान योजना की सूची में 78 लाख किसानों के नाम जोड़कर केन्द्र सरकार को भेजे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य स्व–सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाकर उनकी आमदनी बढ़ाना है। हर किसान का गेहूँ खरीदा जायेगा। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिये कि वे जिले में अवैध धंधा करने वाले माफियाओं एवं चिटफण्ड कम्पनियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें।

कार्यक्रम को सांसद श्री गुमानसिंह डामोर और विधायक श्री चैतन्य कश्यप ने भी संबोधित किया।

डोसी गाँव में किया निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि–पूजन

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आज ही रतलाम जिले के डोसी गाँव में करीब 415 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।

कार्यक्रम में सांसद श्री गुमान सिंह डामोर, विधायक सर्वश्री चैतन्य कश्यप, राजेन्द्र पाण्डे और दिलीप मकवाना, पूर्व मंत्री श्री हिम्मत कोठारी, जिला पंचायत प्रधान परमेश मईड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह लुनेरा सहित अन्य जन–प्रतिनिधि मौजूद थे।

जल जीवन की 39 जलप्रदाय योजनाओं से 64.51 लाख ग्रामीण आबादी होगी लाभान्वित

6091 ग्रामों में 13.36 लाख नल कनेक्शन

भोपाल। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जल निगम 39 जलप्रदाय योजनाओं के निर्माण का कार्य कर रहा है, जिसमें 6091 ग्राम शामिल हैं। इन योजनाओं में 13 लाख 36 हजार 366 नल कनेक्शन का प्रावधान है, जिससे 64 लाख 51 हजार 393 ग्रामीण आबादी को लाभ मिलेगा। इन योजनाओं की कुल लागत 2661.64 करोड़ है।

परियोजना क्रियान्वयन इकाई भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, राजगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सिवनी, शहड़ोल तथा सतना के अन्तर्गत ग्रामीण आबादी के लिए तैयार हो रही इन 39 जलप्रदाय योजनाओं में विदिशा जिले के 105 ग्राम, रायसेन के 81 ग्राम, सीहोर के 41 ग्राम, खण्डवा के 28 ग्राम, धार के 60 ग्राम, उज्जैन के 22 ग्राम, रतलाम के 14 ग्राम, मुरैना के 22 दतिया के 85 ग्राम, शिवपुरी के 32 ग्राम, जबलपुर के 193 ग्राम, नरसिंहपुर के 50 ग्राम,सिवनी के 783 ग्राम, उमरिया के 113 ग्राम, कटनी के 128 ग्राम, राजगढ़ के 1294 ग्राम, टीकमगढ़ के 226 ग्राम, पन्ना के 276 ग्राम, छतरपुर के 240 ग्राम, दमोह के 702 ग्राम, सागर के 232 ग्राम, सीधी के 31 ग्राम, अनूपपुर के 74 ग्राम, शहड़ोल के 155 ग्राम, सतना के 1019 ग्राम तथा रीवा जिले के 109 ग्राम शामिल हैं।

राज्य सरकार पूरी तत्परता और गम्भीरता के साथ यह प्रयास कर रही है कि शहरों की भाँति ग्रामीण आबादी को भी उनकी उपयोगिता के अनुसार घर पर ही नल कनेक्शन के जरिये जल की प्राप्ति हो। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन से प्रदेश में इस कार्य को और गति मिली है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा जल निगम प्रत्येक जिले के हर ग्राम और परिवार तक नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुँचाने की कार्यवाही कर रहा है। जहाँ जलस्त्रोत हैं वहाँ उन्हीं के उपयोग से और जहाँ नहीं हैं वहाँ जलस्त्रोत का निर्माण कर जल प्रदाय योजनायें बनायी जा रहीं हैं।

प्रदेश में जन–जातीय वर्ग के डेढ़ लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा

भोपाल। प्रदेश में जन–जातीय वर्ग के शैक्षणिक सुधार के लिये एक लाख 50 हजार 370 विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिये 2629 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं।

जन–जातीय वर्ग की छात्राओं के लिये 943 और छात्रों के लिये 1686 जूनियर, सीनियर और उत्कृष्ट छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। इन आवासीय छात्रावासों में 53 हजार 74 कन्या और 97 हजार 296 बालक अध्ययन कर रहे हैं।

जन–जातीय वर्ग के 70 हजार विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा

प्रदेश में महाविद्यालयीन शिक्षा के लिये जिन विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा नहीं मिल पाती है, उन विद्यार्थियों के लिये जन–जातीय कार्य विभाग द्वारा आवास सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में इस वर्ष 70 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। पिछले वर्ष इस योजना में 69 हजार 500 विद्यार्थियों को 10946.08 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी।

योजना में संभाग स्तर पर अध्ययन करने वाले प्रति विद्यार्थी को 2 हजार, जिला स्तर पर 1250 और तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय पर एक हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

नागरिकों को सशक्त बनाता - लोग सेवा गारंटी कानून

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की हमेशा सोच रही है कि अपने प्रदेशवासियों को सरकार की सेनाएँ और सुविधाएँ आसानी से मिलें। दस वर्ष पूर्व लोक सेवा गारंटी कानून से अब हर नागरिक या यूं कहें कि बच्चा–बच्चा वाकिफ है। सरकार की 26 सेवाओं से शुरू हुए सफर में आज 49 विभागों की 561 सेवाएँ शुमार हैं। आठ विभागों की 40 सेवाएं तो ऐसी हैं जो 24 घंटे में यानि समाधान एक दिवस में सम्मिलित हैं।

लोक सेवा अधिनियम का उद्देश्य

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 का उद्देश्य सरकार द्वारा अधिसूचित सेवाएँ आम नागरिकों को एक तय समय–सीमा में उपलब्ध कराना है। अधिनियम की धारा 3 में दी गई शक्ति अनुसार सरकार द्वारा लोक सेवाएँ अधिसूचित की गई है। पदाभिहीत अधिकारी का यह दायित्व है कि वह ऐसी सेवाएँ अधिसूचना द्वारा निश्चित की गई समय–सीमा में आवेदक को प्रदान करें। इस प्रकार नागरिकों को सूचना के अधिकार की तरह सेवा का अधिकार भी प्राप्त हो गया है।

आम जनता को सुविधा

अधिनियम के तहत रोज के कामों के लिये अधिसूचित सेवाएं नियत समय में मिलेगी। तय समय सीमा में काम न होने पर इसमें जुर्माने का प्रावधान भी है, जिसमें लोक सेवकों की जवाबदेही होगी। इस कानून में लोक सेवाओं के प्रदाय की मानीटरिंग का भी प्रावधान है। आम नागरिकों में संतोष और सरकारी व्यववस्थाक के प्रति विश्वास पैदा करना। सुशासन स्थापित करने के लिये शासन की यह क्रांतिकारी पहल राज्य शासन की जन प्रतिबद्धता को प्रमाणित करती है।

लोक सेवाएँ प्रदान करने की गारंटी के लिये विशेष कानून

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के लागू होने से अधिसूचित सेवाओं की समय सीमा में प्राप्ति सुनिश्चित होगी। अब सेवा की प्राप्ति आमजन का अधिकार है। इस महत्व पूर्ण कानून ने अब लोक सेवाओं को प्राप्त करने के लिये आमजन के याचना भाव को शक्ति में बदल दिया है। इस अधिनियम में सेवा प्रदान करने में लापरवाही बरतने वालों के लिये शास्ति (धारा 7) का प्रावधान भी है सूचना प्राप्त करने के हक की तरह अब अधिसूचित सेवाएँ प्राप्त करना भी आम जनता का हक बन गया है। लोक सेवा गारंटी अंतर्गत 49 विभागों की 561 सेवाएँ अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित है। समाधान एक दिवस तत्काल सेवा अंतर्गत 8 विभागों की 40 सेवाओं का उसी दिन (उम क्ंल) निराकरण किया जाता है।

सेवा नहीं देने पर जुर्माना

हर सेवा की डिलीवरी के लिए एक समय अवधि तय की गई है। जो अधिकारी अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है और सेवाओं को समय पर प्रदान नहीं करता हैं, उसे प्रति दिन 250 रुपये से लेकर अधिकतम पाँच हजार रुपये तक की रकम का भुगतान जुर्माने के रूप में करना पडता है।

अपील का अधिकार

यह अधिनियम दो चरण की अपील प्रक्रिया प्रदान करता है। जब नागरिक को समय पर अधिसूचित सेवा प्राप्त नहीं होती तब वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से नागिरक असंतुष्ट है तो वह दूसरे अपील प्राधिकारी के पास अपील दायर कर सकते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ दूसरे अपीलीय प्राधिकारी को जुर्माना लगाने के और अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश देने की शक्ति होती है। जहां अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाता है वहीं आवेदकों को असुविधा झेलने के कारण मुआवजे का भुगतान किया जाता हैं। यह अनोखा कानून सिटीजन चार्टर के उद्देश्यों को साकार करने के लिए एक प्रभावी साधन प्रदान करता है।

अनूठा अधिनियम – संयुक्त राष्ट्र संघ ने सराहा

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 देश का पहला खास तरह का अधिनियम है जो निर्धारित समय–सीमा में नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं के प्रदान की गारंटी देता है। अधिनियम ने वर्ष 2012 का यू.एन.पी.एस.ए पुरस्कार जीता। 'लोक सेवाओं के वितरण में सुधार', वर्ग में इस अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2012 का लोक सेवा पुरस्कार United Nations Public Service Awards प्राप्त हुआ है। राज्य ने 73 देशों से और 483 नामांकनों में से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। संयुक्त राष्ट्र का यह लोक सेवा पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता की एक प्रतिष्ठित पहचान है।

प्रतिबद्धता का प्रतिबिम्ब

यह ऐतिहासिक अधिनियम अच्छे सुशासन को प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का एक प्रतिबिंब है। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं के प्रदान की गारंटी देता है और ऐसा करने में विफलता के लिए जवाबदेही तंत्र की योजना करता है। इस अधिनियम के तहत जाति, आय, निवास, जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण–पत्र जारी करना, भू–अभिलेखों की प्रतियाँ, खसरा नक्शा, जैसी 561 महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को अधिसूचित किया गया है।

7 करोड़ से अधिक आवेदनों का निराकरण

मध्यप्रदेश के समस्त, विकासखण्ड, तहसील स्तर पर कुल 426 लोक सेवा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। लोक सेवा केन्द्रों पर नागरिक सेवाएँ उपलब्ध हैं 9 विभागों की 26 सेवाओं के साथ लागू किये गए इस कानून के दायरे में अब तक 561 से अधिक शासकीय सेवाओं को शामिल किया जा चुका है। कानून अंतर्गत ऑनलाइन सेवा प्रदाय अंतर्गत अब–तक 7 करोड़ से भी अधिक आवेदनों का निराकरण कर नागरिक को तय समय–सीमा में सेवाएँ प्रदान की गयीं है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

प्रदेश में एक भी सहकारी बैंक .....

सभी पैक्स संस्थाओं का कम्प्यूटराईजेशन होगा

श्री भदौरिया ने बताया कि पैक्स संस्थाओं को बहुउद्देशीय बनाने के लिए उचित मूल्य दुकानों पर स्थानीय आवश्यकता अनुरूप उपभोक्ता व्यवसाय प्रारंभ किया जा रहा है। प्रदेश की सभी 4523 पैक्स संस्थाओं को कम्प्यूटराईजेशन किया जाएगा, साथ ही आत्मनिर्भर मप्र योजना में भी कृषि ऋण, कृषि आदान, विपणन तथा सामान्य सुविधा केन्द्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रदेश की 1800 पैक्स में सामान्य सुविधा केन्द्र प्रंसस्करण इकाई ग्रेडिंग–शार्टिंग, भण्डारण, ई–मण्डी एवं ऑनलाइन सूचनाएं सेवाएं आदी की सुविधाए स्थापित की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राज्य की पैक्स विपणन एवं बहुउद्देशीय संस्थाओं को रूपये 2 करोड़ तक का ऋण शासकीय प्रत्याभूति पर देकर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। इनमें से पैक्स संस्थाओं को यह ऋण 1 प्रतिशत ब्याज दर पर प्राप्त होगा। योजनांतर्गत 150 संस्थाओं के डीपीआर बन चुके है। इनमें से 75 डीपीआर के लिये राशि 26.70 करोड़ ऋण स्वीकृत हो चुका है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

विभागीय अधिकारियों के लिये .....

प्रयास किये जाए तथा आपने म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रकाशित सहकारी समाचार को प्रदेश की सभी सहकारी संस्थाओं में पहुँचाने की आवश्यक कार्यवाही करने को कहा ताकि विभागीय गतिविधियॉ, नीतियॉ तथा उपलब्धियॉ जन–जन तक पहुंच सके।

विभागीय निर्देश पर विभागीय कार्य मैन्युअल सहकारी पुस्तक परिपत्र तथा सहकारी संस्थाओं के लिये कार्य मैन्युअल प्रकाशन को एक अच्छा कार्य निरूपित किया।

उन्होने अभिदाय/अंशदान भुगतान के संबंध में इस विषय को विडियों कान्फ्रेसिंग में शामिल किये जाने का निर्देश दिया साथ ही सहकारिता आयुक्त ने राज्य सहकारी संघ की भूमियों पर बॉऊंड्रीवाल बनाने एवं सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव को व्यवस्थित करने के निर्देश दिये।

उन्होंने राज्य सहकारी संघ के विभिन्न कक्षों का अवलोकन किया तत्पश्चात् राज्य सहकारी में विभागीय अधिकारियों की कार्यशाला को भी संबोधित किया। राज्य सहकारी संघ का परिचय, गतिविधियॉ, उपलब्धियों एवं समस्याओं पर प्रस्तुतिकरण प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने किया।

रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर (सेन्ट्रल रूल) 1956 के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समाचार पाक्षिक के स्वामित्व तथा अन्य विवरण संबंधित जानकारी

घोषणा फार्म चार (नियम 8)

1.	प्रकाशन स्थल	:	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, ई–8/77,शाहपुरा, भोपाल
2.	प्रकाशन अवधि	:	पाक्षिक
3.	मुद्रक का नाम	:	दिनेशचन्द्र शर्मा वास्ते मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, ई–8/77,शाहपुरा, भोपाल
4.	प्रकाशक का नाम	:	दिनेशचन्द्र शर्मा वास्ते मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, ई–8/77,शाहपुरा, भोपाल
5.	सम्पादक का नाम	:	दिनेशचन्द्र शर्मा वास्ते मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, ई–8/77,शाहपुरा, भोपाल
6.	क्या भारतीय नागरिक हैं:		हां
7.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार या साझेदार हो।	:	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का हैं।

मैं दिनेशचन्द्र शर्मा एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास से ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

दिनांक 16 फरवरी 2021

(दिनेशचन्द्र शर्मा)
प्रकाशक के हस्ताक्षर

योजनाएं समय से पूरी हों, गुणवत्ता अच्छी हो तथा रेस्टोरेशन कार्य साथ-साथ हो जाए, कोई शहर बिना सीवरेज सिस्टम के न रहे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की शहरी पेयजल एवं सीवरेज योजनाओं की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर नगर में नल से पर्याप्त स्वच्छ पेयजल पहुँचाया जाएगा। इसके लिए संचालित पेयजल योजनाएँ समय से पूरी हों, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो तथा रेस्टोरेशन का कार्य भी साथ–साथ हो जाए और कार्य–स्थल खोद कर नहीं छोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का कोई भी नगर बिना सीवरेज सिस्टम के न रहे। सीवरेज कार्य होने पर वे कार्यशील हो और सीवेज का ट्रीटमेंट प्रारंभ हो जाए, यह सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में शहरी पेयजल एवं सीवरेज योजनाओं के कार्य की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और प्रमुख सचिव श्री नीतेश व्यास आदि उपस्थित थे।

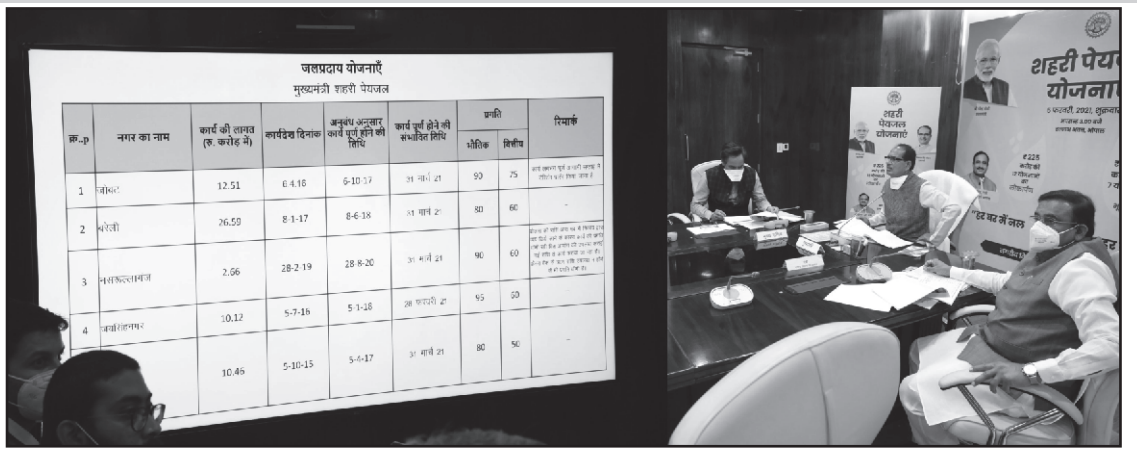

भौतिक सत्यापन कराएं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जो योजनाएँ पूर्ण हो गई हैं, उनका भौतिक सत्यापन कराया जाए। आयुक्त नगरीय प्रशासन ने बताया कि प्रदेश के 211 नगरीय निकायों में पेयजल योजनाएँ पूरी हो गई हैं और167 में कार्य चल रहा है।

वर्ष 2014 का कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लंबित पेयजल योजनाओं की कार्यवार समीक्षा की। पंधाना नगर की 2014 की पेयजल योजना वर्ष 2015 में पूरी होनी थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने असंतोष व्यक्त करते हुए योजना को शीघ्र पूरा किए जाने के निर्देश दिए।

रोज मॉनीटरिंग करें, शीघ्र पूरा करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन पेयजल योजनाओं का कार्य पूरा नहीं हुआ है, उनकी रोज मॉनीटरिंग कर उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए।

अमरकंटक में विशेष प्रयास करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अमरकंटक में सीवरेज की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। वहाँ विशेष प्रयास किए जाकर तेज गति से सीवरेज का कार्य कराया जाए। नर्मदा नदी में गंदा मल–जल नहीं मिलना चाहिए। चित्रकूट में भी इस संबंध में विशेष ध्यान दिया जाए। ओंकारेश्वर की सीवरेज परियोजना भी शीघ्र पूरा करें।

स्नेहपूर्वक सहयोग करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले ठेकेदारों को स्नेहपूर्वक सहयोग करें। जो ठेकेदार कार्य नहीं करते अथवा घटिया कार्य करते हैं उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

अभी 30 प्रतिशत ट्रीटमेंट की व्यवस्था

नगरीय विकास आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के नगरीय निकायों में प्रतिदिन 2200 एम.एल.डी. सीवेज जनरेट होता है, जिसमें से लगभग 30 प्रतिशत मात्रा (690 एम.एल.डी.) का ही ट्रीटमेंट हो पाता है। वर्ष 2022 तक प्रतिदिन 1880 एम.एल.डी. सीवेज के ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो जाएगी, जो कुल सीवेज का लगभग 86 प्रतिशत होगा।

बिजली के अवैध उपयोगकर्ता सावधान : बिजली कंपनी की नजर आप पर है

विजिलेंस चेकिंग के लिये ई–प्रणाली लागू

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विजिलेंस चेकिंग के लिए लागू ई–प्रणाली के अच्छे परिणाम आए हैं। कंपनी के सभी वृत्तों में वैध/अवैध विद्युत कनेक्शनों की सतर्कता जांच एवं विजिलेंस चेकिंग के लिए मोबाईल एप चेकिंग अधिकारियों के मोबाइल पर लोड किये गये हैं। विजिलेंस मोबाईल एप में सतर्कता जांच एवं पंचनामा बनाने के वास्तविक समय (रीयल टाईम) के दर्ज होने की सुविधा होने के साथ–साथ जांच किये गये परिसर का वास्तविक दिशाकोण भी दर्ज होता है।

वर्तमान में कंपनी के सभी सतर्कता अधिकारियों के साथ–साथ मैदानी अधिकारियों द्वारा विजिलेंस मोबाईल एप के माध्यम से सतर्कता जांच की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में कंपनी के सभी निम्नदाब उपभोक्ताओं के प्रत्येक माह के विद्युत खपत के आधार पर आर्टिफिशिल इंटेलिजेन्स तकनीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गणना कर ऐसे संदिग्ध परिसर की पहचान की जाती है जहॉ विद्युत चोरी होने की संभावना होती है। इसके आधार पर संबंधित सतर्कता अधिकारी द्वारा विद्युत चोरी का प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। एप के माध्यम से की गयी सतर्कता चेकिंग की समस्त गतिविधियॉ एवं संबंधित दस्तावेज इस एप में हमेशा के लिये संधारित हो जाते हैं जिससे कि भविष्य में इनको न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। एप के माध्यम से अब तक कंपनी के अंतर्गत कुल 2 लाख 48 हजार 201 कनेक्शनों की जांच की जाकर विभिन्न धाराओं में 75 हजार 514 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। पंजीबद्ध प्रकरणों के विरूद्ध कुल 168 करोड़ रुपये के पूरक बिल जारी कर दिसम्बर 20 तक कुल 56 करोड़ रुपये की वसूली की गयी है।

भार वृद्धि अभियान

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ता परिसर में भार वृद्धि कर लोड मैनेजमेंट के साथ ही राजस्व संग्रह बढ़ाया है। चालू वर्ष 2020–21 के दौरान मैदानी अधिकारियों के द्वारा विशेष अभियान के रूप में कनेक्शनों की जॉच कर भार वृद्धि की कार्यवाही की गई। इससे स्थाई गैर घरेलू श्रेणी में 74 हजार 426 किलोवॉट, औद्योगिक श्रेणी में 27 हजार 121 किलोवॉट एवं कृषि उपभोक्ताओं की श्रेणी में 7 लाख 54 हजार 922 एच.पी. भार वृद्धि हुई है। कंपनी कार्यक्षेत्र में मार्च 2020 में 7 लाख 07 हजार 817 स्थाई कृषक उपभोक्ता थे जिनका कुल भार 45 लाख 07 हजार 694 एच.पी. था। वर्ष 2020–21 के दौरान मैदानी अधिकारियों के अथक प्रयास से नवीन कनेक्शन जारी करने एवं जॉच कर भार वृद्धि करने की कार्यवाही की गई। इसके कारण उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 7 लाख 88 हजार 649 हो गई है एवं उनका भार 51 लाख 29 हजार 212 एच.पी. हो गया है।

बड़े उपभोक्ता ए.एम.आर.सेल के राडार पर

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के ए.एम.आर. सेल द्वारा दफ्तर में बैठे–बैठे उपभोक्ता परिसर के लोड पैटर्न का अध्ययन कर कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में कपंनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत समस्त 2 हजार 529 उच्चदाब एवं 16 हजार 955 हाई वेल्यू निम्नदाब उपभोक्ताओं के मीटर डेटा की डाउनलोडिंग एवं विश्लेषण का कार्य किया जा रहा है। चालू वर्ष में 441 एच.टी. मीटरों का मानकीकरण का कार्य एवं 961 निम्नदाब विद्युत कनेक्शनों पर ए.एम.आर. युक्त मीटरों की स्थापना की गई। इसके साथ ही 9 हजार 500 उपभोक्ताओं की रीडिंग प्रणाली जी.एस.एम. से जी.पी.आर.एस. में परिवर्तित कर रीडिंग का कार्य किया जा रहा है।

कंपनी द्वारा नल–जल योजना के अंतर्गत लगाये गये ए.एम.आर. मीटरों का विश्लेषण किया गया। इसमें 3045 कि.वॉट. की भार वृद्धि की गयी, साथ ही 79 लाख की राजस्व वसूली की गई। 10 कि.वॉट. एवं अधिक भार के गैर कृषि उपभोक्ताओं का ए.एम.आर. एवं एम.आर.आई. से प्राप्त डेटा का विश्लेषण किया गया, जिससे कुल 9 हजार 793 प्रकरणों में कंपनी को हुई राजस्व क्षति 2 करोड़ 61 लाख रुपये की अतिरिक्त बिलिंग की गई। उच्चदाब कनेक्शन के लिये निर्धारित मांग सीमा से अधिक अधिकतम मांग वाले उच्चदाब उपभोक्ताओं का विश्लेषण किया गया एवं 27 प्रकरणों में 16 करोड़ 20 लाख की अतिरिक्त बिलिंग की गई। इसमें 82 लाख रूपये की वसूली की जा चुकी है। सी.सी. एन.बी. बिलिंग प्रणाली से बिल होने वाले 14 हजार 523 निम्नदाब उपभोक्ताओं की विसंगतियां दूर कराई गई एवं 17 करोड़ 25 लाख की अतिरिक्त बिलिंग की गई। इसमें 8 करोड़ 21 लाख रूपये की वसूली की जा चुकी है।

कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उच्चदाब एवं हाई वेल्यू निम्नदाब उपभोक्ताओं का मीटर डेटा का विश्लेषण कर पायी गयी अनियमितताओं में आवश्यक संशोधन के साथ कुल एक करोड़ 73 लाख की अतिरिक्त बिलिंग कराई गयी जिसमें से रूपये 58 लाख की वसूली की जा चुकी है। इस तरह से, ए.एम.आर. सेल द्वारा उच्चदाब एवं निम्नदाब हाई वेल्यू उपभोक्ताओं के मीटर–डेटा एवं बिलिंग–डेटा का विश्लेषण कर कंपनी राजस्व में रू. 38 करोड़ 58 लाख की वृद्धि प्रस्तावित की गई, जिसके विरूद्ध 10 करोड़ 20 लाख रुपये का राजस्व मिल चुका है।

प्रदेश के अनुसूचित जाति बहुल 1033 ग्राम बनेंगे आदर्श ग्राम

भोपाल। प्रदेश के 1033 अनुसूचित–जाति बहुल ग्रामों का चयन आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किये जाने के लिये किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिये केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से 159 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

स्व-सहायता समूहों को हर माह 150 करोड़ रूपये देने की व्यवस्था : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मोतीमहल परिसर में लगाई गई प्रदर्शिनियों का मुख्यमंत्री ने किया अवलोकन

समूह की दीदियों द्वारा बनाई गई चाय भी पी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में स्व–सहायता समूहों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्व–सहायता समूहों को हर माह 150 करोड़ रूपये देने की व्यवस्था सरकार ने की है। आगे भी समूहों को सहायता मिलती रहेगी। श्री चौहान ने "आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश" पर केन्द्रित प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान यह बात स्व–सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से कही। मोतीमहल परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा "लोकल फॉर वोकल" के तहत ग्रामीणों को आत्म–निर्भर बनाने के लिये किए गए प्रयास एवं ग्वालियर जिले के लिए "एक जिला एक उत्पाद" के तहत चिन्हित सैण्ड स्टोन टाइल्स, स्मार्ट सिटी के तहत किए गए महत्वपूर्ण कार्य, ग्वालियर शहर को स्वच्छता में अव्वल बनाने के लिये किए जा रहे प्रयास तथा अमृत योजना के तहत हो रहे

सीवर और पेयजल के कामों को प्रदर्शित किया गया था।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान, केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्व–सहायता समूह की दीदी कैफे से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाई गई चाय भी कुल्हड़ से पी। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री सुरेश धाकड़, सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन और जिला पंचायत ग्वालियर द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी सराहनीय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान को प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान समूह से जुड़ी श्रीमती प्रियंका राजपूत ने बताया कि आपके निर्देशन में स्व–सहायता समूह आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही समूह की सभी बहनों के आधार–कार्ड बनाए जा चुके हैं। श्री चौहान ने कहा कि आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद सैण्ड स्टोन टाइल्स के प्रोडक्ट के माध्यम से लगाई गई प्रदर्शनी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि स्टोन के कार्य और गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाये। ग्वालियर में स्टोन का अच्छा काम हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्मार्ट सिटी के अवलोकन के दौरान कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में ग्वालियर को पहले स्थान पर लाने के प्रयास किए जायें, जिससे स्वच्छता में ग्वालियर प्रदेश में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सके। इस दौरान संभाग आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने बताया कि तीन हजार लोगों को स्मार्ट सिटी में साथी बनाया जायेगा। इससे स्मार्ट सिटी की गतिविधियों को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

स्मार्ट सिटी की प्रदर्शनी, विरासत का सर्वेक्षण एवं नागरिक सुविधाओं का प्रदर्शन

स्मार्ट सिटी की प्रदर्शनी के माध्यम से ग्वालियर में महत्वपूर्ण कार्यो की श्रृंखला में हेरिटेज के कार्य, ग्रीन स्पेस की उपलब्धता तथा सुदृढ़ यातायात के लिये स्मार्ट रोड एवं मोबिलाइजेशन से संबंधित कार्यों को दर्शाया गया था। इन परियोजनाओ से जहाँ शहर की विरासत को संरक्षण कर सहेजा जा रहा है, वहीं उन परियोजनाओ के पूर्ण होने पर शहर के नागरिकों को अत्याधुनिक सुविधाएँ भी मिल रही हैं।

ग्वालियर की 'मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना' बतौर मॉडल पूरे प्रदेश में लागू होगी : मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि असहाय बुजुर्ग एवं दिव्यांगों को घर पर ही राशन मुहैया कराने के लिये ग्वालियर जिला प्रशासन ने "मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना" के रूप में सराहनीय पहल की है। ग्वालियर जिले की इस पहल को बतौर मॉडल पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रविवार को ग्वालियर प्रवास के दौरान "मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना" का शुभारंभ किया।

शुभारंभ कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्री ओपीएस भदौरिया व लोक निर्माण राज्यमंत्री श्री सुरेश धाकड़, सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर सहित जन–प्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत ग्वालियर जिले में 3 हजार 607 बुजुर्ग एवं दिव्यांगों के घर पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन पहुँचाया जायेगा। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असहाय बुजुर्गों को इस योजना में शामिल किया गया है।

सहकार से ही सपने होंगे साकार : मंत्री डॉ. मिश्रा

दतिया में सहकारी केन्द्रीय बैंक का वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित

भोपाल। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में जिला सहकारी केन्द्रीय बैक मर्यादित द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में शिरकत की। मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि सहकारिता से किसानों का आर्थिक सशक्ति–करण होगा। सहकार से ही आत्म–निर्भर होने का सपना साकार होगा। सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कृषक उत्पादकता समूहों का गठन किया जा रहा है। उन्होंने सहकारी बैंकों के अधिकारी–कर्मचारियों से कहा कि शासन द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ किसानों को दिलवाया जाये।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि सहकारी बैंक से किसान भाई जीरो प्रतिशत ब्याज पर खेती एवं अन्य कार्यों के लिए ऋण ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान भाईयों के लिए ऐसे नियम बनाए हैं, जिससे किसानों एवं अन्य लोगों को सभी सुविधाएँ प्राप्त होंगी। किसान समय पर एक लाख रूपये का ऋण चुकायेंगे, तो वे दोबारा शीघ्र ही ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

कार्यक्रम में सहकारी बैंक के प्रबंधक श्री विनोद भार्गव ने बैंक की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री प्रदीप अग्रवाल एवं डॉ. आशाराम अहिरवार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में श्री सुरेन्द्र सिंह बुधोलिया, श्री विपिन गोस्वामी, श्री प्रशांत ढेंगुला, अतुल भूरे चौधरी, श्री जीतू कमरिया सहित अन्य जन–प्रतिनिधि तथा किसान भाई उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में कर्मचारी हुए सम्मानित

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के श्री चन्द्रशेखर राजपूत, श्री चन्द्रशेखर शर्मा, कु. हर्षिता साहू, कु. अंजली तोमर सहित अन्य कर्मचारियों को सम्मानित किया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।